कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छिन्दवाड़ा
–: निविदा विज्ञप्ति कमांक–15 :–

नि0क0/ 15/निविदा/ग्रा0यां0से0/2010–11 छिन्दवाडा, दिनांक 23 /02/2011

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित निर्माण कार्यो हेतु मोहरबंद निविदायें फार्म ''ए'' पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल एवं सेनेटरी सरल क0 1 हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 01.09.2003 पर 25 प्रतिशत दर वृद्वि सहित तथा विद्युतीकरण कार्य हेतु दिनांक 02.10.95 से प्रभावशील, कमांक (2 से 16 तक) हेतु मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी नई दर अनुसूची दिनांक 12.04.2010 के अनुसार एवं अद्यतन संशोधन सहित तथा आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची जो दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावशील है अद्यतन संशोधन सहित के आधार पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 18.03.2011 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 17.03.2011 तक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

क.	कार्य का नाम	वि0ख0	अनु. लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (बर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की श्रेणी	आमंत्रण कमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य अतरिया	हरई	3.81	7620.00	2000.00	5 माह	बी एवं उच्च श्रेणी	पंचम
2.	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा में अतिरिक्त कार्य एवं सीसी पेवर ब्लाक कार्य	छिन्दवाड़ा	4.66	9320.00	2000.00	3 माह	अ–1 एवं उच्च श्रेणी	द्वितीय
3.	जनपद पंचायत कार्यालय हर्रई में विस्तार निर्माण एवं शेष कार्य	हर्रई	7.27	14540.00	2000.00	6 माह	––,,––	द्वितीय
4.	जनपद पंचायत भवन के प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	8.12	16240.00	2000.00	6 माह	––,,––	द्वितीय
5.	कंबल केन्द्र पारडसिंगा में कामन फेसिलिटी सेन्टर तथा छत नवीनीकरण कार्य	सौंसर	12.66	25320.00	2000.00	6 माह	अ–2 एवं उच्च श्रेणी	द्वितीय
6.	जनपद पंचायत भवन मोहखेड़ विस्तार/हाल कार्य	मोहखेड़	9.15	18300.00	2000.00	6 माह	अ–1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
7.	जनपद पंचायत में अतिरिक्त कक्ष निर्माण परासिया	परासिया	8.81	17620.00	2000.00	6 माह	––,,––	प्रथम
8.	ग्राम देवगढ में स्टापडेम निर्माण	मोहखेड़	9.80	19600.00	2000.00	6 माह	––,,––	प्रथम
9.	ग्राम डोंगरखापा में परकुलेशन टैंक निर्माण	परासिया	18.69	37380.00	2000.00	6 माह	अ–2 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
10.	ग्राम सालीवाड़ा सानी में स्टापडेम निर्माण	अमरवाड़ा	13.07	26140.00	2000.00	6 माह	––,,––	प्रथम
11.	ग्राम खिड़कीघाट में स्टापडेम निर्माण	हर्रई	27.38	54760.00	2000.00	9 माह	––,,––	प्रथम
12.	ग्राम खैरमण्डल महादेवकसाटाकिया नदीं में स्टापडेम निर्माण	जुन्नारदेव	22.13	44260.00	2000.00	6 माह	––,,––	प्रथम
13.	ग्राम जुन्नारदेव विशाला बुडकाक्षेत्रढाना में स्टापडेम निर्माण	जुन्नारदेव	8.81	17620.00	2000.00	6 माह	अ–1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
14.	ग्राम बातरा में स्टापडेम निर्माण	तामिया	9.50	19000.00	2000.00	6 माह	––,,––	प्रथम
15.	ग्राम उमरवाह में स्टापडेम निर्माण	तामिया	12.13	24260.00	2000.00	6 माह	अ–2 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
16.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन उन्नयन कार्य धनौरा	हर्रई	19.00	38000.00	2000.00	9 माह	––,,––	प्रथम
17.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन उन्नयन कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	18.45	36900.00	2000.00	9 माह	––,,––	प्रथम
18.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन शेष कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	14.90	29800.00	2000.00	9 माह	––,,––	प्रथम
19.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन उन्नयन कार्य देलाखारी	तामिया	19.00	38000.00	2000.00	9 माह	––,,––	प्रथम

<u>निविदा की सामान्य शर्ते:–</u>

1. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगवाने पर रू0 50/–अतिरिक्त अथवा डाक का वास्तविक व्यय देना होगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा, डाक विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

कमशः––2––पर

2. ऐसे ठेकेदार जिन्होने शासकीय विभागो अथवा शासकीय उपक्रमों में गत तीन वर्षो में न्यूनतम राशि रू0 4.00 लाख एक स्टापडेम कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया हो, वे ही ठेकेदार स्टापडेम/परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। इस हेतु कार्यपालन यंत्री स्तर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. म0प्र0 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु सक्षम होगें। म0प्र0 के अन्य कार्य विभागों में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार इस हेतु उन्हें उस विभाग का सत्यापित सक्षम श्रेणी के पंजीयन की प्रति एवं उस विभाग में पिछले 3 बर्षो में किये गये कार्यो का अद्यतन विवरण सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, योग्य सक्षम ठेकेदार को ही निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेगें। अन्य कार्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात 15 दिवस के भीतर अनुबंध करने से पूर्व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सक्षम श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। समय–सीमा में पंजीयन न कराने की स्थिति में निविदा हेतु जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसे ठेकेदार जिन्होनें पूर्व में विभाग में कार्य लिये और अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिये अथवा कार्य प्रारंभ ही नहीं किये उन्हें निविदा प्रपत्र विकय नहीं किये जावेगे। ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति भागीदारी विलेख तथा पावर आफ अटर्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र कय करते समय पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि एवं पंजीयन श्रेणी अनुसार राशि की नवीन जीवित राजस्व व बैंक सालवेंसी, आयकर पेन नम्बर, पिछले वित्तीय बर्ष की आयकर विवरणी, वाणिज्य कर विभाग का टिन नम्बर रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) से अधिक के निर्माण कार्यो हेतु जो ठेकेदार इंजीनियरिंग अर्हता प्राप्त नहीं है उन्हे अपने कार्यो की देखरेख हेतु एक डिप्लोमा होल्डर यंत्री/स्नातक यंत्री को सेवा में रखने हेतु इस बावत वचन पत्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा प्रपत्र विकय नहीं किये जावेगें।
5. सर्शत कटी–फटी अथवा ओव्हर रायटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार द्वारा स्थल निरीक्षण निविदा देने के पूर्व कर लेवे।
6. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
8. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौंड संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी अंतिम भुगतान किया जावेगा ।
9. समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु परफार्मेन्स एण्ड डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि के पश्चात् 24 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की, कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में, 5 प्रतिशत राशि, इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि, ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। ठेकेदारों को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत् प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वसूली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू–राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।''
10. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित लागत के कार्यो में करना आवश्यक होगा।
11. ठेकेदार द्वारा प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जावेगी। अमानत राशि अलग से मोहरबंद लिफापे में देनी होगी। यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा फिक्सडिपाजिट जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा जो मान्य की जावेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि नहीं होने पर निविदा मूलतः ठेकेदार को वापिस कर दी जावेगी।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग संलग्न मेनडेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोग शाला परीक्षण कराये जाने के उपरान्त किया जावे ।
13. निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाड़ा को होगा।
14. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा ।
15. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद, बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
16. श्रम संविदा एक्ट के अन्तर्गत वैध लेबर लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
17. संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग/लायसेंस बोर्ड से क्वउमेजपब (घरेलू) विद्युतीकरण कार्य का सक्षम श्रेणी का वैध पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैध पंजीयनधारी लायसेंसी का ठेकेदार से संबद्ध होना आवश्यक होगा। (तदाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)।
18. विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षैत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
19. कार्य के प्राक्कलन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 12.04.2010 से लागू एवं निविदा सूचना दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. पर बनाये गये है। यदि ठेकेदार की निविदा दरें इस कार्यो हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. से असंतुलित अर्थात् एस.ओ.आर. से कम प्रतिशत पर प्राप्त होती हैं तो प्रचलित एस.ओ.आर. दर पर कार्य की लागत एवं ठेकेदार की दरों पर कार्य की लागत के अंतर की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में (जो बैंक गारंटी के रूप में संबंधित कार्यपालन यंत्री के पक्ष में देय होना चाहिये) कार्य पूर्णता तक जमा करानी होगी।
20. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाना होगा।
21. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग छिन्दवाड़ा

पृ0कमांक / 3540 / निविदा / ग्रायासे / 2010–11 छिन्दवाड़ा दिनांक 23 / 02 / 2010
प्रतिलिपिः–

वृहद प्रचार प्रसार हेतु सम्प्रेषित ।

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय जन संपर्क भवन वाण गंगा रोड भोपाल की ओर एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
2. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर प्रथम टीसी–4.की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल.
4. जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ....
8. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कमांक एक छिन्दवाड़ा / कमांकइ 2 छिन्दवाड़ा / सौंसर / तामिया / अमरवाड़ा
9. एन0आई0सी0 छिन्दवाड़ा की ओर बेब साईट में प्रदर्शित हेतु प्रेषित ।
10. कार्यालय लेखा / तकनीकी शाखा
11. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन–32 सुन्दर नगर पिपलानी बी0एच0ई0एल0 भोपाल
12. कार्यालयीन सूचना पटल हेतु ।

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग छिन्दवाड़ा